

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---------------------------------|---|
| <p>01.07.2019</p> <p>8/7/19</p> | <p>यह वाद पत्र वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन सहित दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादी किया जाकर पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 23.08.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जमशारामगढ़</p> <p>वादी छापराम पुत्र नारायण जति मीना निवासी हीरापुरा ने प्रार्थना पत्र फाइल में अंकित। संपर्क धारा 157 के तहत विद्युत करने का पेश करने पर पत्रावली का पेश हुआ। वादी स्वयं दुप्रीपता प्राप्त की पहचान करने किये गए थे। उक्त शर्तों के नीचे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि प्रमाण में पक्षकारों के महप पहली तौर पर शरीरगत है, युक्त है। शर्त 68/25 दर्ज का तलबी पत्रावली के तहत 15 के तहत प्रमाण राखा जा रहा है प्रतिवादी के तलबी प्रमाणों के तहत 94 में तप हुआ है इसीलिए वाद को विद्युत करने का शर्तित किया जा रहा है निवेदन किया है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर गणना किया। वादी द्वारा वाद को विद्युत करने पर वाद को विद्युत करने की शर्तित प्रमाणों की जाती है। वाद को शर्तित किया जाता है।</p> <p>पत्रावली के तहत प्रमाण देकर वाद को तलबी वाद को दर्जित रूप में है।</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p> <p style="text-align: right;">तहसील जमशारामगढ़</p> |

8/7/19
 वादी का
 पंजीयन
 2019/125/2019

